

State through Suruchi Kumari Vs Rampari Devi and others
ST No. 163 of 2026
Khagaria (Mahila) PS Case No. 19 of 2024
CIS No. 163 of 2026)

जिला- खगड़िया

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह- विशेष
न्यायाधीश, SC/ST Act, खगड़िया

ST No. 163 of 2026
Khagaria (Mahila) PS Case No. 19 of 2024
CIS No. 163 of 2026)

राज्य (द्वारा सुरुची कुमारी)....अभियोजन पक्ष/ सूचक

ब न म

1. रामपरी देवी, उम्र करीब 60 वर्ष,
पति- स्व० धनंजय प्रसाद,
2. हेमन्त कुमार उर्फ महेश कुमार, उम्र करीब 29 वर्ष,
पिता- स्व० धनंजय प्रसाद
दोनों साकिन-मालपा, थाना चौथम, जिला खगड़िया।
3. ममता देवी, उम्र करीब 30 वर्ष,
पति-पंचानंद चौरसिया,
4. पंचानंद मोती, उम्र करीब 45 वर्ष,
पिता- स्व० चन्द्रदेव प्रसाद चौरसिया,
दोनों साकिन- तुलसीपुर, थाना खरीक, जिला भागलपुर।
5. नूतन कुमारी, उम्र करीब 45 वर्ष,
पति ब्रजमोहन चौरसिया,
साकिन- चन्द्रनगर राँको, थाना मुफरिसल, जिला खगड़िया।

..... अभियुक्तगण

आरोपित धाराएँ 498A/34, 313/34, 504/34 IPC, U/s 3/4 Dowry
Prohibition Act

अभियोजन की ओर से - श्रीमती रंजना कुमारी
विद्वान अपर लोक अभियोजक।

अभियुक्त की ओर से - श्री राजीव प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता।

उपस्थित : **संजय कुमार-II**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम-सह- विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

खगड़िया, दिनांक 09वीं अप्रैल 2026

नि र्ण य

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त रामपरी देवी, हेमन्त कुमार उर्फ महेश कुमार, ममता देवी, पंचानंद मोती, नूतन कुमारी के विरुद्ध धारा 498A/34, 313/34, 504/34 IPC, U/s 3/4



State through Suruchi Kumari Vs Rampari Devi and others

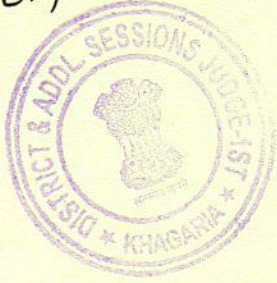
ST No. 163 of 2026

Khagaria (Mahila) PS Case No. 19 of 2024

CIS No. 163 of 2026)

Dowry Prohibition Act के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है, जिनका वे सामना कर रहे हैं।

2. यह वाद सूचक सुरुची कुमारी के टंकित आवेदन पर आधारित है, जिसमें उसने कथन किया है कि मेरी शादी हेमन्त कुमार उर्फ महेश कुमार पिता स्व० धनन्जय प्रसाद चौरसिया, साकिन-भूतौली मलपा वार्ड नं०-13, थाना-चौथम, जिला-खगड़िया के साथ दिनांक-22.02.2021 को मेरे घर रसौंक पर दोनों पक्षों के रजामंदी से हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई। एक वर्ष तक मेरे पति-पत्नी का दामपत्य जीवन सही रहने के कारण मैं गर्भवती हुई। गर्भ के दौरान मेरे पति ने एक दवा खिलाया एवं दुसरी दवाई मेरे गुप्तांग में स्वयं डाल दिया और बोला कि डाक्टर ने बोला है तुम्हारा कमजोरी दूर हो जायेगा और साथ ही बोले कि मेडिकल लाईन में मैं काम करता हूँ, इसलिए मुझे जानकारी है। दवाई खाने एवं मेरे गुप्तांग में दवाई डालने के कुछ घंटे बाद ही मुझे रक्तश्राव होने लगा और मेरा बच्चा खराब हो गया। इस घटना के बाद से मेरा पति मुझसे दूर रहने लगे और बात-बात पर प्रताड़ित एवं गाली-गलौज करने लगे। मेरे पति घर से बाहर बेगुसराय में रहकर कार्य करते थे। छः-छः माह पर घर आते थे और एक रात भी पति-पत्नी के तरह नहीं रहते थे। मुझे घर में नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाने लगा। जब मैं अपने पति के मोबाईल नं०-6204139083 एवं 9709994627 पर बात करने की कोशिश करती तो वह मुझे गाली-गलौज करने लगता और कहता है कि अब तुमको नहीं रखेंगे, अगर मेरे साथ रहना है तो अपने बाप से 1000000/- (दस लाख) रुपया लाकर दो तभी तुमको रखेंगे। जिसकी शिकायत मैं अपने सास रामपरी देवी ननद ममता देवी एवं ननदोषी पंचानंद मोदी से करती थी तो उल्टे उक्त सभी मेरे पति को समझाने के बजाय मुझे गाली-गलौज, रंडी, हिजरेन कहके प्रताड़ित करते थे। जबकि मेरे पिता ने शादी में उपहार के तौर पर 5 लाख रुपया नगद, 4 लाख का सोने एवं चाँदी का जेवरात, 3 लाख का फर्नीचर एवं



State through Suruchi Kumari Vs Rampari Devi and others

ST No. 163 of 2026

Khagaria (Mahila) PS Case No. 19 of 2024

CIS No. 163 of 2026)

अन्य सामान देकर विदा किया था। तब मेरे साथ हो रहे प्रताड़ना की जानकारी अपने पिता को दिया तो मेरे पिता ने मलपा ग्राम में एक पंचायत बैठाई पंचों ने मेरे पति को मुझे अपने साथ में रखने का निर्णय दिया। मेरे पति मुझे लेकर बेगुसराय में एक गलत जगह पर डेरा लेकर रख दिया जहाँ कोई महिला नहीं रहती थी केवल मजदूर वर्ग के पुरुष रहते थे। अपने दिन-रात क्लिनिक पर रहते थे और दूसरे लड़के के माध्यम से राशन देकर खाना बनवाकर मंगवा लेते थे। सप्ताह-सप्ताह तक डेरा पर नहीं आते थे। गलत लड़के को डेरा पर भेजकर रात में खाना माँगते थे। मैं डर से खिड़की के रास्ते खाना दे देती थी। मेरे पति ने अपने मोबाईल मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में कर दिया था और फोन करने पर उनका नंबर लगता नहीं था। इस बात की जानकारी मैंने अपने पिता को दिया। मेरे पिताजी बेगुसराय आये और मेरे पति से मिले तो मेरे पति मेरे पिता के साथ गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने लगे और बोले कि अपने बेटी को ले जाओ जब तक तुम 1000000/- (दस लाख) रुपया नहीं दोगे तुम्हारी बेटी को नहीं रखेंगे। मुझे जानकारी मिली कि मेरा पति का नाजायज संबंध नुतन कुमारी पिता बृजमोहन चौरसिया साकिन-चन्द्र नगर राँकों थाना-मुफ्फसिल, जिला-खगड़िया से है। इसलिए मुझे मेरा पति मुझे तंग-तवाह कर एवं भगा कर उससे शादी करने का षडयंत्र कर रहा है। वर्ष 2024 के फरवरी माह में मेरे पति ने मुझे मारपीट कर भगा दिया। इसके बाद मेरे पिता ने मेरी सास रामपड़ी देवी, ननद ममता देवी एवं ननदोषी पचानंद मोदी से बात किया तो उन्होंने भी 1000000/- (दस लाख) रुपया दो नहीं तो अपने बेटी का कही दूसरी शादी कर दो। इसके बाद मेरा पति मेरे मायके आकर मुझे एवं मेरे माता-पिता के साथ गाली-गलौज किये। उपरोक्त व्यक्तियों का मंशा दहेज का रुपया नहीं देने पर मेरा जान बूझ कर गर्भपात करा कर घर से भगा देना एवं दूसरी शादी कर लेने की साजिश था।

3.

सूचक के द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के



State through Suruchi Kumari Vs Rampari Devi and others

ST No. 163 of 2026

Khagaria (Mahila) PS Case No. 19 of 2024

CIS No. 163 of 2026)

आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया। इस वाद में अपराध का संज्ञान लिया गया तथा वाद का दौरा माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। जहाँ से यह अभिलेख स्थानान्तरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

4. अभियुक्तों ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपने परीक्षण के दौरान अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार किया है तथा अपने को निर्दोष बताया है।

5. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

म न त ट य

6. अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में एकमात्र सूचक साक्षी सुरुचि कुमारी का साक्ष्य कराया गया है। उन्होंने अपने मुख्य बयान में घटना का आंशिक समर्थन किया है तथा कथन किया है कि मेरी शादी 22.02.2021 को हुई थी। उसके बाद एक वर्ष तक मेरे पति-पत्नी का दाम्पत्य जीवन सही रहा तो मैं गर्भवती हो गयी। मेरे पति मेडिकल लाईन में काम करते हैं। उन्होंने गलत दवा खिलाकर मेरा गर्भपात करा दिया। उसके बाद प्रताड़ित करने लगा। स्पष्ट है कि साक्षी ने अपने मुख्य बयान में घटना का आंशिक समर्थन किया है तथा उन्होंने घटना का कारक के बारे में कुछ नहीं कहा है और न ही उन्होंने दस लाख रुपया दहेज मांग की बात कहा है। इस प्रकार साक्षी के प्राथमिकी और न्यायालय के समक्ष दिये बयान में विरोधाभास है। साक्षी ने टंकित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर का पहचान किया है, जिसे उसके पहचान पर प्रदर्श-P1/PW-01 अंकित किया गया है। इस साक्षी के अलावा किसी अन्य साक्षी का साक्ष्य अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। यहाँ तक कि अनुसंधानक का भी साक्ष्य नहीं कराया गया है। ऐसा कोई भी साक्षी या साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया



State through Suruchi Kumari Vs Rampari Devi and others
ST No. 163 of 2026
Khagaria (Mahila) PS Case No. 19 of 2024
CIS No. 163 of 2026)

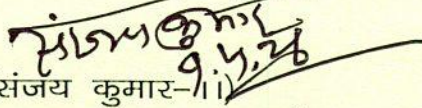
गया है, जिससे अभियोजन का वाद सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित हो सके।

आदेश

7. अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के परिशीलन के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभियुक्त रामपरी देवी, हेमन्त कुमार उर्फ महेश कुमार, ममता देवी, पंचानंद मोती, नूतन कुमारी के विरुद्ध गठित धारा 498A/34, 313/34, 504/34 IPC, U/s 3/4 Dowry Prohibition Act के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। ऐसी परिस्थिति अभियुक्त दोषमुक्ति के योग्य हैं। फलतः अभियुक्त रामपरी देवी, हेमन्त कुमार उर्फ महेश कुमार, ममता देवी, पंचानंद मोती, नूतन कुमारी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है तथा उन्हें एवं उनके जमानतदार को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

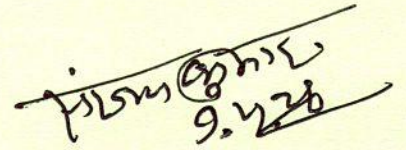
मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत


(संजय कुमार-II)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम-सह- विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

09.04.2026




(संजय कुमार-II)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम-सह- विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

09.04.2026

